भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या –1164
दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में मृत भारतीयों के लिए मुआवजा

†1164. श्री राहुल कस्वां
श्री बृजेन्द्र सिंह ओला

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाने वाले अन्य देशों में कार्यरत भारतीयों की वर्षवार और देश-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) मृतक व्यक्तियों के परिवारों से अपर्याप्त मुआवजे के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने वाले मामलों का देशवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई ठोस नीति या सक्रिय योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) चूरू और हनुमानगढ़ जिलों के विदेश में फंसे हुए भारतीयों की देश-वार संख्या कितनी है और निपटाए गए और लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) मृतक व्यक्ति के परिवार द्वारा प्राप्त मुआवजे की राशि कितनी है और लंबित मुआवजे की राशि कितनी है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में कार्यरत कुल भारतीयों की संख्या जो दुर्घटनाओं में मारे गए, के बारे में मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी अनुबंध-क में दी गई है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशन/केंद्र, मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु से संबंधित मुआवजे के मामलों को दर्ज कराने तथा मृत्यु क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों में आवश्यक दस्तावेजीकरण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान करते हैं। इनमें वैध उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (एलएचसी) और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) जैसे दस्तावेज शामिल हैं, जो पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, दुर्घटना में हुई मौत या यातायात दुर्घटना अथवा हत्या के मामलों में, मृतक के कानूनी वारिसों की ओर से विदेशों की अदालतों में मृत्यु संबंधी मुआवजे के मामले पर कार्रवाई के लिए आवश्यक हैं। विदेश में स्थित मिशन/केंद्र भी ऐसे दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता प्रदान करते हैं।

विदेश में स्थित भारतीय मिशन/केंद्र स्थानीय प्राधिकारियों/कंपनियों से मृत्यु से संबंधित मुआवजे और बीमा दावों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। विदेशों में स्थित मिशन/केंद्र के पास मृत भारतीय नागरिकों के मुआवज़े के भुगतान के लिए मानक संचालन पद्धति निर्धारित हैं। वे मृत भारतीय नागरिकों के मृत्यु से संबंधित मुआवजे के मामलों पर नियोक्ता/संबंधित न्यायालय के साथ तब तक अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं जब तक कि मृतक के परिवार को उनका मुआवज़ा नहीं मिल जाता। विदेश में स्थित मिशन/केंद्र भी संबंधित विदेशी प्राधिकारियों के साथ संपर्क करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि नियोक्ता सहयोग नहीं कर रहा है तो मृतक व्यक्ति के परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके।

मृतक व्यक्ति के परिवार द्वारा प्राप्त मुआवजे की राशि के संबंध में मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी अनुबंध ख में दी गई है।

अनुबंध क

देश का नाम	निम्नलिखित वर्षों में विदेश में कार्यरत भारतीयों की कुल संख्या जिनकी दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई -		
	2023	**2024**	**2025**
अल्बानिया	0	0	1
अलजीरिया	1	1	3
अंगोला	0	1	4
आर्मीनिया	3	16	3
ऑस्ट्रेलिया	1	4	5
ऑस्ट्रिया	0	0	1
बहरीन	20	16	13
बांग्लादेश	1	1	1
भूटान	8	9	10
बोत्सवाना	2	0	0
ब्रूनेई दारएस्सलाम	0	0	1
बुल्गारिया	0	0	1
बुर्किना फासो	1	0	0
कंबोडिया	2	1	0
कैमरून	0	1	0
कनाडा	13	15	20
चाड	0	1	0

कोटे डी आइवर	1	0	0
क्रोएशिया	0	0	1
साइप्रस	0	0	1
डेनमार्क	0	0	1
ज़िबूटी	0	0	2
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	2	4	3
मिस्र	2	6	1
इक्वेटोरियल गिनी	3	1	0
एस्तोनिया	0	0	1
इथियोपिया	1	0	2
फिजी	0	2	1
फ्रांस	0	0	1
जर्मनी	2	1	2
घाना	2	6	0
ग्रीस	3	8	2
हंगरी	6	7	8
ईरान	9	4	3
इराक	3	4	4
आयरलैंड	0	0	3
इटली	1	2	4

जमैका	2	1	0
जॉर्डन	1	1	2
केन्या	1	0	0
कुवैत	93	128	80
किर्गिज़स्तान	0	1	0
लाओ पीडीआर	0	1	0
लेबनान	2	3	0
लाइबेरिया	1	1	0
लीबिया	1	0	2
मलावी	1	2	2
मलेशिया	35	43	34
मालदीव	4	4	3
माल्टा	1	1	2
मॉरीशस	1	2	1
मंगोलिया	0	0	1
मोज़ाम्बिक	0	0	8
नेपाल	11	5	5
नीदरलैंड	8	9	9
न्यूज़ीलैंड	3	3	5
नाइजीरिया	7	2	4

ओमान	62	57	50
पापुआ न्यू गिनी	1	1	1
पोलैंड	2	0	1
कतर	52	41	32
गिनी गणराज्य	0	1	0
रूस	0	1	3
सऊदी अरब	287	296	336
सेनेगल	0	2	1
सर्बिया	0	1	1
सेशल्स	3	3	3
सिएरा लिओन	1	1	6
सिंगापुर	23	19	22
स्लोवाक गणराज्य	0	0	2
दक्षिण अफ्रीका	1	2	1
दक्षिण सूडान	0	1	2
स्पेन	2	3	0
श्रीलंका	3	0	1
तंजानिया	1	1	0
थाईलैंड	0	0	1
ट्यूनीशिया	1	1	0

तुर्किये	1	0	0
संयुक्त अरब अमीरात	107	150	153
युगांडा	0	2	1
यूके	4	7	6
यूएसए	9	16	7
उज़्बेकिस्तान	1	4	2
वियतनाम	0	1	0

अनुबंध ख

देश का नाम	**पिछले 3 वर्षों में मृतक व्यक्ति के परिवार द्वारा प्राप्त किए गए मुआवज़े की राशि (रुपए में)**
अल्जीरिया	1,54,82,694
ऑस्ट्रिया	8,16,52,061
इथियोपिया	50,00,000
कुवैत	15,95,65,286
लाओ पीडीआर	8,08,279
लेबनान	13,12,181
मलेशिया	1,56,35,933
मॉरीशस	2,68,142
नेपाल	50,00,000
सऊदी अरब	40,20,85,441
सिंगापुर	26,59,571
दक्षिण सूडान	47,87,250
तंजानिया	3,00,000
संयुक्त अरब अमीरात	37,68,71,691
यूएसए	13,16,857
